न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3137–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–7–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 36/2012–13/अपील.

———

1– रामकिशन पुत्र प्रभुदयाल
निवासी ग्राम सूरो
परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.
हाल निवासी घासमंडी नं. 2
मुरार, ग्वालियर
2– राजेन्द्र कुमार
3– नरेश कुमार
क. 2, 3 पुत्रगण रामकिशन
निवासीगण ग्राम सूरो
परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.
हाल निवासीगण घासमंडी नं. 2
मुरार, ग्वालियर
4– श्रीमती कांती देवी शर्मा पुत्री रामकिशन
पत्नी महेश प्रसाद शर्मा, एडवोकेट
निवासी गाड़ी अड्डा रोड, सुभाषगंज डबरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा
निवासी ग्राम सूरो
परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.
हाल निवासी घासमंडी नं. 2
मुरार, ग्वालियर
2– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

———

श्री पी.एस. बघेल, अभिभाषक, एवं
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 द्वारा वादग्रस्त भूमियों के बटवारे हेतु अपर तहसीलदार, तहसील टप्पा मुरार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/12–13/अ–27 दर्ज कर दिनांक 26–4–13 को आदेश पारित कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा स्वीकार किया जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 अशोक कुमार शर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 18–7–13 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र तथा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से विकय, भारित एवं अंतरित न किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–7–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया । चूंकि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रकरण का अंतिम निराकरण अनुविभागीय अधिकारी को ही किया जाना है, इसलिए कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पटवारी से फर्द बटवारा मंगाये जाने के निर्देश देते दिये जाकर प्रकरण में दिनांक 8–8–14 की तिथि नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया था कि ग्राम सूरो में स्थित भूमि सर्वे कमांक 744, सर्वे कमांक 855, सर्वे कमांक 859, सर्वे कमांक 874, सर्वे कमांक 930, सर्वे कमांक 931, सर्वे कमांक 932, सर्वे कमांक 941, सर्वे कमांक 1070, सर्वे कमांक 1072, सर्वे कमांक 1075, 1086 कुल किता 12 एवं ग्राम गुठीना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 588 है, जो आवेदक कमांक 1 रामकिशन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई है और उक्त संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति है और इस संबंध में आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विकय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर बिना किसी साक्ष्य के यह मान्य करते हुए कि उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति है, इसलिए अनावेदक कमांक 1 को उक्त भूमि में स्वत्व अर्जित है, विचारण न्यायालय द्वारा किया गया पारिवारिक बटवारा निरस्त किया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक कमांक 1 रामकिशन ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि में से पूर्व में ही अनावेदक कमांक 1 को भूमि प्रदाय की थी और उक्त भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा विकय कर समस्त बिकीधन प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए अनावेदक कमांक 1 को पुनः उक्त कृषि भूमि में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत किये गये बटवारे के संबंध में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार न होते हुए भी अनावेदक कमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) संहिता की धारा 178 के अंतर्गत पिता को अपने जीवनकाल में अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का अपने पुत्रों को देने का अधिकार है और उसी प्रावधान के तहत आवेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में अपने दोनों पुत्रों राजेन्द्र कुमार, नरेश कुमार एवं पुत्री श्रीमती कांतीदेवी शर्मा के हक में बटवारा किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें विधिवत इस्तहार जारी करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया मानकर जो आदेश पारित किया गया है, वह रिकार्ड के विपरीत है, क्योंकि पिता के अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का

अधिकार नहीं है । संहिता में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि पिता चाहता है तो वह अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि में से अपने पुत्रों व पुत्रियों में बटवारा कर सकता है और इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप आवेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । यदि अनावेदक कमांक 1 पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहता है तो उसे सक्षम न्यायालय में बटवारे का दावा प्रस्तुत करना चाहिए, वह पिता की जीवनकाल में राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि संहिता में 2012 में संशोधन के अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को रिमाण्ड करने का अधिकार नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–7–2014 के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः फर्द बटवारा मंगाये जाने का जो आदेश पारित किया है, उक्त आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही उसे फर्द बटवारे में सम्मिलित किया गया है, इस संबंध में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अभिलिखित भूमिस्वामी को अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति का बटवारा करने का अधिकार है । अनावेदक कमांक 1 को पूर्व में ही उसके हिस्से की भूमि प्रदाय की जा चुकी है, जिसे उसके द्वारा विकय कर बिकीधन प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु उसमें मन में बदयान्ती आ जाने के कारण उसके द्वारा गलत तरीके से आवेदक कमांक 1 जो कि उक्त भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी है, के द्वारा अन्य पुत्रों को दिये गये हिस्से के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि उसे उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की स्पष्ट अनुमति प्राप्त करना चाहिए थी, परन्तु उसके द्वारा बिना स्पष्ट अनुमति प्राप्त किये जो अपील प्रस्तुत की गई थी, वह सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए उक्त अपील ग्राह्य

योग्य नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय में न तो कोई अधिसूचना जारी हुई ना ही अनावेदक कमांक 1 को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया है, और ना ही उसके समक्ष कोई फर्द बटवारा तैयार किया गया और ना ही किसी फर्द बटवारे पर अनावेदक कमांक 1 के हस्ताक्षर कराये गये हैं, इसके विपरीत बिना सूचना के अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार ने दिनांक 26–4–2013 को आदेश पारित कियागया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी को–पार्सनरी संपत्ति है, जिसके आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 संयुक्त स्वामी हैं, इसलिए आवेदक कमांक 1 को अपने मन मुताबिक व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) आवेदक कमांक 1 रामकिशन द्वारा सर्वे कमांक 1073, सर्वे कमांक 1074, सर्वे कमांक 1075, सर्वे कमांक 1086 कुल रकबा 1.870 हैक्टेयर भूमि का विकय श्रीमती पुष्पा एवं सुखदेवी को कर उसका संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया है, इसके बावजूद इस भूमि को बटवारे में शामिल कर गलत रूप से अनावेदक कमांक 1 को दिया जाना बताया है ।

(4) प्रकरण के तथ्यों, रिकार्ड पर आई साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निगरानी न तो पोषणीय है और ना ही निगरानी में कोई पर्याप्त आधार है, क्योंकि अंतरिम आदेश से प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं होता है ।

(5) आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा भूमि का विकय पुष्पा एवं सुखदेवी को किया गया था तथा प्रतिफल प्राप्त किया था । उक्त आधार गलत है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि का विकय आवेदक कमांक 1 रामकिशन द्वारा किया गया है और प्रतिफल भी उसी को प्राप्त हुआ है । ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को यह होल्ड करने का अधिकार नहीं है कि प्रतिफल अनावेदक कमांक 1 ने प्राप्त किया है और भूमि बटवारे में अनावेदक कमांक 1 को दी गई है । इस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है ।

(6) यह स्वीकृत तथ्य है कि भूमि आवेदक कमांक 1 रामकिशन द्वारा ही विकय की गई है, जिसके विपरीत तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसे उचित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ने अपास्त किया है ।

(7) भूमि आवेदक कमांक 1 की स्वअर्जित भूमि हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि पैतृक होना स्पष्ट है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है ।

(8) आवेदकगण का यह कहना कि अनावेदक कमांक 1 से सहमति लेकर अधीनस्थ न्यायालय में फर्द बटवारा पेश किया गया था, रिकार्ड के विपरीत है, क्योंकि उसकी सहमति से फर्द तैयार की गई होती तो उस पर अनावेदक कमांक 1 के हस्ताक्षर होते ।

(9) आवेदकगण ने अनावेदक कमांक 1 के हक को मारने के लिए व उसको, उसके हिस्से से महरूम करने के लिये दुर्भावनापूर्वक असत्य रूप से व्यवस्था बताते हुए आवेदन पेश किया है ।

अंत में आधार लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–4–2013 निरस्त करते हुए चूंकि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण करना है, इस दृष्टि से प्रकरण में फर्द बटवारा मंगाये जाने के निर्देश दिये जाकर प्रकरण फर्द बटवारा हेतु नियत किया गया है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अभी साक्ष्य आदि ली जाकर अंतिम रूप से बटवारा आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में प्रकरण के गुण–दोष से संबंधित आधार उठाये गये हैं, जिन्हें वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–7–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर